63/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 62/2015 श्री पवनकुमार पाहवा निवासी 30–31, सेकेण्ड ब्लाक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.02.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पवन कुमार पाहवा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी व उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री पवन कुमार पाहवा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने प्रा0 पत्र दिनांक 19.04.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1– क्या जिला प्रशासन व राज्य सरकार संस्था– श्री गुरू नानक खालसा कॉलेज एवं हायर सकेण्डरी स्कूल गवर्निंग कोंसिल, श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 'अल्पसंख्यक संस्थान' मानते है अथवा नही मानते है?

यदि जिला प्रशासन व राज्य सरकार उपरोक्त संस्था को 'अल्पसंख्यक संस्थान' मानते है तो जिला प्रशासन के अथवा नियत्रंण में निम्नलिखित बिन्दु 2 व 3 की सूचनांए अवश्य ही उपलब्ध होगी। अतः निम्नलिखित बिन्दु 2 व 3 की सूचनांए भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:–

2– श्री अकाल तख्त साहिब, अमृतसर द्वारा 25 नवम्बर 2012 को संस्था श्री गुरू नानक खालस कॉलेज एवं हायर सकेण्डरी स्कूल गवर्निंग कोंसिल, श्रीगंगानगर (राजस्थान) के सम्बन्ध में जारी आदेश (हुैमनामे) की प्रमाणित फोटो प्रति तथा

3– उपरोक्त आदेश (हुक्मनामें) की पालना सुनिश्चित होने का प्रमाण।

यदि जिला प्रशासन व राज्य सरकार उपरोक्त संस्था को 'अल्पसंख्यक संस्थान' नही मानते है तो निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर के आदेश कमांक 4084 दिनांक 18.10.2006 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर की अनुदान सहायता राशि के साथ साथ महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भतों, पीएफ, परिश्रमिक आदि के आहरण एवं वितरण हेतु जरूरी हस्तक्षेप करने का अधिकार भी है और इस हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का वैद्यानिक दायित्व भी बनता है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने महाविद्यालय के तथाकथित प्राचार्य को पत्र संख्या 885 दिनांक 13.11.2006 के जरिये आदेशित भी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के पास अथवा नियंत्रण में निम्नलिखित बिन्दु 4, 5, 6 व 7 की सूचनांए अवश्य ही उपलब्ध होगी। अतः निम्नलिखित बिन्दु 4, 5, 6 व 7 की सूचनांए उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:–

4– प्रार्थी व साथीगण जो कि एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर के वैद्य, स्थाई व नियमित व्याख्याता है का अगस्त 2011 से अब तक के वेतन–भतों , पी.एफ. आदि का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करवाए जाने की सूचना वेतन वितरण लिस्ट व बैंक की जमा रसीद की प्रमाणित फोटो प्रति सहित

5– वितीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, व 2014–2015 के दौरान एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर को कुल कितनी कितनी राशि फीस, चन्दा, अनुदान आदि के रूप में प्राप्त हुई और इस राशि में से कर्मचारियों के वेतन–भत्तों, पी.एफ., परिश्रमिक आदि मदों में कब कब कितना कितना भुगतान किस किसको किया गया? बैंक की जमा रसीदों सहित पूर्ण विवरण की प्रमाणिक प्रतियां

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6– उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानग के उपरोक्त पत्र की अनुपालना बाबत महाविद्यालिय के आहरण एवं वितरण अधिकारी के बैंक खाते (पंजाब एण्ड सिंध बैंक, खालसा कॉलेज शाखा खाता संख्या 6676) से उक्त मदों में कब–कब कितना–कितना लेन देन हुआ? बैंक खाते की विवरणिका (Statement) की प्रमाणिक फोटो प्रतियां तथा

7– वितीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, व 2014–2015 के दौरान उक्त मदों की शेष राशि जिसका भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के बैंक खाते (पंजाब एण्ड सिंध बैंक, खालसा कॉलेज शाखा खाता सं0 6676) की बजाये अनाधिकृत लोगों द्वारा किया गया है, उसकी रिकवरी करके आहरण एवं वितरण अधिकारी के बैंक खाते में जमा करवाये जाने की सूचना अथवा इस हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की सूचना।

पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र सं0 105 दिनांक 03.08.2015 के अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को पत्र संख्या 60 दिनांक 08.05.15 के द्वारा निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या जिला प्रशासन व राज्य सरकार संस्था– श्री गुरू नानक खालसा कॉलेज एवं हायर सकेण्डरी स्कूल गवर्निंग कोंसिल, श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 'अल्पसंख्यक संस्थान' मानते है अथवा नही मानते है? यदि जिला प्रशासन व राज्य सरकार उपरोक्त संस्था को 'अल्पसंख्यक संस्थान' मानते है तो जिला प्रशासन के अथवा नियत्रंण में निम्नलिखित बिन्दु 2 व 3 की सूचनांए अवश्य ही उपलब्ध होगी। अतः निम्नलिखित बिन्दु 2 व 3 की सूचनांए भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:–	बिन्दु संख्या 1 इस कार्यालय से संबंधित नही है।
2.	श्री अकाल तख्त साहिब, अमृतसर द्वारा 25 नवम्बर 2012 को संस्था श्री गुरू नानक खालस कॉलेज एवं हायर सकेण्डरी स्कूल गवर्निग कोंसिल, श्रीगंगानगर (राजस्थान) के सम्बन्ध में जारी आदेश (हुैमनामे) की प्रमाणित फोटो प्रति तथा	बिन्दु संख्या 2 इस कार्यालय से संबंधित नही है।
3.	उपरोक्त आदेश (हुक्मनामें) की पालना सुनिश्चित होने का प्रमाण। यदि जिला प्रशासन व राज्य सरकार उपरोक्त संस्था को 'अल्पसंख्यक संस्थान' नही मानते है तो निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर के आदेश कमांक 4084 दिनांक 18.10.2006 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर की अनुदान सहायता राशि के साथ साथ महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भतों, पीएफ, परिश्रमिक आदि के आहरण एवं वितरण हेतु जरूरी हस्तक्षेप करने का अधिकार भी है और इस हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का वैद्यानिक दायित्व भी बनता है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, 4.श्रीगंगानगर ने महाविद्यालय के तथाकथित प्राचार्य को पत्र संख्या 885 दिनांक 13.11.2006 के जरिये आदेशित भी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के पास अथवा नियंत्रण में निम्नलिखित बिन्दु 4, 5, 6 व 7 की सूचनांए अवश्य ही उपलब्ध होगी। अतः निम्नलिखित बिन्दु 4, 5, 6 व 7 की सूचनांए उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:–	उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा निदेशक कॉलेज शिक्षा द्वारा केवल अनुदान सहायता राशि को आहरण एवम वेतन भत्तों, पी.एफ., पारिश्रमिक आदि हेतु वितरण करने के लिए अधिकृत है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

63/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर A3/3

4.	प्रार्थी व साथीगण जो कि एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर के वैद्य, स्थाई व नियमित व्याख्याता है का अगस्त 2011 से अब तक के वेतन–भतों, पी.एफ. आदि का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करवाए जाने की सूचना वेतन वितरण लिस्ट व बैंक की जमा रसीद की प्रमाणित फोटो प्रति सहित	राज्य सरकार द्वारा कॉलेज को 20.02.2012 के पश्चात अनुदान राशि नही दी है। जितना अनुदान दिया है वह अनुदानित कर्मचारियों में वितरण करवा दिया गया है अगस्त 2011 के पश्चात के वेतन भत्तो के जमा करवाये जाने की रसीदें सलंग्न कर भिजवाई जा रही है।
5.	वितीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, व 2014–2015 के दौरान एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर को कुल कितनी कितनी राशि फीस, चन्दा, अनुदान आदि के रूप में प्राप्त हुई और इस राशि में से कर्मचारियों के वेतन–भत्तों, पी.एफ., परिश्रमिक आदि मदों में कब कब कितना कितना भुगतान किस किसको किया गया? बैंक की जमा रसीदों सहित पूर्ण विवरण की प्रमाणिक प्रतियां	निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में नही है।
6.	उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानग के उपरोक्त पत्र की अनुपालना बाबत महाविद्यालिय के आहरण एवं वितरण अधिकारी के बैंक खाते (पंजाब एण्ड सिंध बैंक, खालसा कॉलेज शाखा खाता संख्या 6676) से उक्त मदों में कब–कब कितना–कितना लेन देन हुआ? बैंक खाते की विवरणिका (Statement) की प्रमाणिक फोटो प्रतियां तथा	बैंक खाते की पास बुक की प्रति भेजी जा रही है।
7.	वितीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, व 2014–2015 के दौरान उक्त मदों की शेष राशि जिसका भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के बैंक खाते (पंजाब एण्ड सिंध बैंक, खालसा कॉलेज शाखा खाता सं0 6676) की बजाये अनाधिकृत लोगों द्वारा किया गया है, उसकी रिकवरी करके आहरण एवं वितरण अधिकारी के बैंक खाते में जमा करवाये जाने की सूचना अथवा इस हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की सूचना।	उक्त खाते से आहरण वितरण के लिए केवल उपखण्ड अधिकारी ही अधिकृत है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का संबंध अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से न होकर बल्कि श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज श्रीगंगानगर की संस्था से है।

यद्यपि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में उपखण्ड अधिकारी एवं वेतन वितरण अधिकारी, श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार बिन्दुवार उत्तर दिया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध ही सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानो के तहत संबंधित सक्षम अपील प्राधिकारी को ही अपील पेश की जा सकती है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर के आदेश दिनांक 18.10.06 के द्वारा श्रीगंगानगर खालसा कॉलेज के अनुदान सहायता राशि आहरण करने तथा महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भत्तो तथा अन्य बिलों पी.एफ. बिल एवं परिश्रमिक के आहरण एवं वितरण के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी को केवल उक्त संस्था के अनुदान सहायता राशि के बिलो के लिए ही आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर किसी प्रकार से

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

63/15 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
A3/4

उक्त संस्था के लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त नही है और उनके द्वारा उक्त संस्था का जो उक्त कार्य किया जा रहा है वह उपखण्ड अधिकारी की हैसियत से नही किया जा रहा है बल्कि उक्त संस्था के वेतन आहरण व वितरण अधिकारी अनुदान खालसा कॉलेज श्रीगंगानगर के रूप में कार्य किया जा रहा है। जिसके विरूद्ध सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता को बतौर अपील अधिकारी अपील सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर